

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट किशनगढ़बास (अलवर)

हुकम या कार्यवाही मय हनिशियल जज

दिनांक
7-4-21

वकील प्रार्थी उप-1) वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की लामिल रसीद P.O. इन् में पेश कर दी गई है।
 आविष्युद सूचना अप्रार्थी अनु-1) बार-बार अपील दिखाने गई। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है वास्ते जवाब पेशीदार सरकार दि० 19/5/21 को पेश हो।

19/5/21 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब केरना
 अन्य कार्य में बाहर हैं/बाहर प्यारे हैं।
 उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 4/8/21
 को पेश हो।
 रीडर

4/8/21 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब
 अन्य कार्य में बाहर हैं/बाहर प्यारे हैं।
 उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 11/9/21
 को पेश हो।
 रीडर

1-9-21






वकीली का रजि. स्थगन है। वास्ते जवाब पेशीदार सरकार दिनांक 24-9-21 को पेश हो।

24-9-21 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब ~~केरना~~ मिडिया
 अन्य कार्य में बाहर हैं/बाहर प्यारे हैं।
 उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 10/11/21
 को पेश हो।
 रीडर

12-11-21

पत्रावली उभयपक्षों के मध्य मजिस्ट्रेट के उपपत्र में मुख्यतया पेश की निर्णय नहीं हो सका दिनांक 28-12-21 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास (अलवर)

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय हनिशियल जज
<u>28-2-22</u>	पकीस वीर उरण। वस्त्र जवाब परीकार सख्तार सिद्धांत 28-2-22 को पेश है। 
<u>28-2-22</u>	पकीस प्रविश्वर। वस्त्र जवाब परीकार सख्तार सिद्धांत 16-3-22 को पेश है। 
<u>16-3-22</u>	वडील धार्षी उरण। वस्त्र जवाब परीकार सख्तार सिद्धांत 23-3-22 को पेश है। 
<u>23-3-22</u>	पकीस उग्रि उरण। मूलवाद के साथ सिद्धांत 28-3-22 को पेश है। 
<u>28-3-22</u>	वडील धार्षी उरण। मूलवाद के साथ सिद्धांत 28-3-22 को पेश है। 
<u>28-5-22</u>	पकीस वडी उरण। मूलवाद सिद्धांत के साथ प्रार्थना पत्र भी फोरम किया गया है। प्रार्थना पत्र फोरम शुभारंभ के दौरान सलगन मूल रहे। 